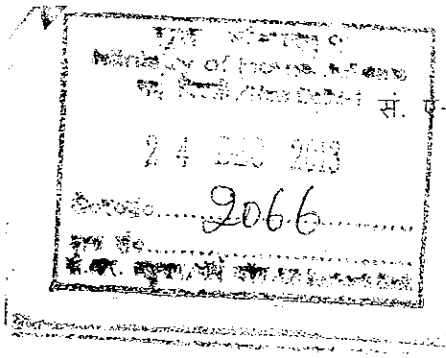

53

आर टी आई मामला/समयबद्ध

7766/RTI/2013
24/12/13

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
24 DEC 2013
डायरी सं.....2066.......

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक: 11/12/, 2013

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुरेश कुमार कौशिक द्वारा मांगी गई सूचना

****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 11/12/2013 के आवेदन का संदर्भ लें जो दिनांक 20/11/2013 को इस मंत्रालय में/(.................................) से अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली के अनुसार; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुरोध के साथ दस रूपए का आवेदन शुल्क, समुचित रसीद के जरिए नगद रूप में अथवा उस लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में लगा होना चाहिए जिससे सूचना मांगी जा रही है।

2. आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं:-

(i) 10/- रुपए का शुल्क नहीं भेजा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर, सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।

(ii) शुल्क का भुगतान/प्रेषण न्यायालय शुल्क स्टाम्प/गैर-न्यायिक पेपर/एकाउन्ट पेयी चेक/पोस्टेज स्टाम्प/(ओं) के रूप में किया गया है जो अधिनियम के तहत शुल्क के भुगतान का वैध तरीका नहीं है।

(iii) ..../-रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर भेजा गया है, जो अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित शुल्क नहीं है।

(iv) भेजा गया ~~डिमाण्ड ड्राफ्ट~~/भारतीय पोस्टल आर्डर सही प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" को देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, आपका आर टी आई आवेदन, 10/- रुपए के भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/गैर-न्यायिक पेपर/न्यायालयी शुल्क स्टाम्प (संख्या ....) के साथ वापस किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुरेश कुमार कौशिक,
म.न. 152, भारद्वाज कालोनी
अलीपुर
दिल्ली – 110036.

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत BY SPEED POST

श्री मान - गृहमन्त्री महोदय भारत सरकार

विषय: पूरे भारत में निकाले हुए होमगार्ड कि वापसी! दिल्ली में नहीं

प्र०-(1) 29-7-2013 को आल इंडिया होमगार्ड ऐसोसियेशन ने जन्तर मन्तर पर आम सभा व जनरल मीटिंग हुई और भारत सरकार से मांग कि निकाले हुए बिना कारण बिना नोटिस के पूर्व होमगार्ड बिना शर्त बहाल करने का ज्ञापन आप को दिया गया था आप ने इस पत्र पर क्या कार्यवाही कि है इस (कोपी सलग्न है) — कि सूचना दि जाए

प्र०-(2) 1947 के एक्ट में D.H.G. (नगर सैनिको) में I.P.S. अधिकारी थे या नहीं! नहीं थे तो ये I.P.S. अधिकारी कौन से एक्ट के तहत (नगर सैनिक) होमगार्ड विभाग में आये और कौन से सन में दिल्ली में आये इस कि सूचना दी जाए

Asstt. P.S. to Home Minister
Govt. of India
New Delhi

प्र०-(3) दिल्ली होमगार्ड का 1947 के एक्ट 3 वर्ष का था 5-10-15-20 वर्ष नौकरी कराके भारमुक्त कर दिया गया धारा 13 के तहत हमे बोलने का भी हक नहीं मिला इस धारा का उलंघन किस अधिकारी ने किया इस कि सूचना दी जाए

प्र०-(4) हरियाणा में निकाले हुए पूर्व होमगार्ड को बहाल कर दिया गया दिल्ली में किस कारण वापसी नहीं हुई इस कि (कोपी सलंग्न है) सूचना दी जाए

प्र०-(5) उत्तर प्रदेश में 20-9-2013 को निकाले हुए होमगार्ड शर्त के बहाल कर दिये गये दिल्ली में आज तक 1998 से 2001 तक निकाले हुए पूर्व होमगार्ड कि वापसी इस लिए नहीं हुए होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार है और लोकसभा ने माना भ्रष्टाचार है दिल्ली पुलिस के D.C.P ने भी कहा करोड़ो का भ्रष्टाचार है उपराज्यपाल ने भी माना होमगार्ड विभाग भ्रष्टाचार है आज तक सी बी आई जांच किस लिए नहीं हुई क्या कारण है इस कि सूचना दी जाए

कोपी सलंग्न है। कृपा हिन्दी में सूचना दी जाए

पोस्टल आर्डर
11F 144270 —

भवदीय
नाम सुरेश कुमार कौशिक S/o ...
हस्ता: 152 भारद्वाज कालोनी अलीपुर
दिल्ली - 36

संलग्न 6 + 3

Date
2013

REGISTERED UNDER SOCIETIES ACT ...

ALL INDIA HOME GUARD WELFARE ASSOCIATION

National Head Office
Village & Post Boria Kamalpur
Dist. Rewari (Haryana)
Mobile No. : ~~9456618525~~ 09467544536
Phone No. : 01281237991
Delhi — 9838746534

7305/RTI/13
6/12/13

ज्ञापन

सेवा में,

दिनांक 29/7/2013

श्रीमान ... गृह मंत्रालय भारत सरकार

....

....

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
... 2013
कें.र.सं. ....
C.R. No. ....
सी.आर. अनुभाग / Ch. Section...

विषयः— होमगार्ड एवं पूर्व होम गार्ड के समस्याओं के संदर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि आज दिनांक 29.07.2013 को ऑल इण्डिया होमगार्ड्स वैलफेयर एसोशियेसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. एस. दहिया की अध्यक्षता में स्थान जंतर–मंतर नई दिल्ली गृह मंत्रालय के समक्ष आम सभा की गई जिसमें दिल्ली–हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब, कई प्रदेशों के होमगार्ड्सों ने भाग लिया। सभी प्रदेशों के होमगार्डों की समस्याओं की चर्चा की गई। दिनांक 07.07.2013 को दिये गये पत्र की चर्चा की गई पत्र में कहा गया था कि जिन परिस्थितियों में होमगार्ड के संगठन की स्थापना हुई थी उसमें अब काफी बदलाव करने की जरुरत है। अब होमगार्ड्स जवान के लिए यही जीविका का आधार बन गया है। अब इनके साथ निष्काम सेवा जोड़े रखना बेईमानी है। आज भारत में कोई भी सज्जन निष्काम सेवा नहीं कर रहा है। केवल होमगार्ड्स को निष्काम सेवा के लिए बाध्य रखना संविधान के अनुसार उल्लंघन है। होमगार्ड्स के अधिकारों का हनन है। पूरे भारत के होमगार्ड्स देश के नागरिक पुलिस के साथ शान्ति व्यवस्था में जोखिम भरी परिस्थितियों में समान दायित्वों का निर्वाह करते हैं आज इस महंगाई में होमगार्डों का जीवन–यापन करना मुश्किल हो गया है। एसोशियेसन की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:–

Home Guards
For clarify

1. संसदीय समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने देशभर के होमगार्ड को अपेक्षाकृत बेहतर सुविधा देने की पहल की है। गृहमंत्री ने यह अध्ययन करने को कहा है कि होमगार्ड को सिपाही के रूप में पक्की नौकरी देने में कुल कितना खर्च बढ़ेगा। मामला चूंकि राज्य सरकारों का है इसलिए पाटिल ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर से आर्थिक मदद दी जायेगी परन्तु राज्य सरकारों ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

P.T.O.

2. समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों (नगर सैनिकों) को नियमित करने पर केन्द्र सरकार की सिफारिश लागू हो एवं मध्य प्रदेश मानव अधिकार रिपोर्ट व अनुशंसा लागू किया जाये।

3. पुलिस के समान पेंशन, भत्ते, चिकित्सा सुविधा, ग्रेच्युटी सुविधा प्रदान की जाये।

4. समान कार्य समान वेतन प्राप्त किया जाये एवं महीन की 1 तारीख को वेतन प्राप्त किया जाये।

5. होम गार्ड जवानों (नगर सैनिकों) का समस्त भारतवर्ष में वेतन में वैल्फेयर फंड न काटा जाये।

6. समस्त भारतवर्ष के सभी प्रदेशों रोटेशन (स्कीनिंग काल आउट सिस्टम) तत्काल बन्द किया जाये।

7. तीन वर्ष से अधिक 5,10,15 वर्ष तक सेवा कर चुके होम गार्ड जवानों (नगर सैनिकों) को बिना शर्त बहाल किया जाये एवं बोम्बे एक्ट 1947 का उल्लघंन विभाग के किस वरिष्ठ अधिकारी ने किया सी. बी. आई. द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाये।

8. भारत शासन को सन् 1966 व 1967, 1974, 1984 के आदेशों को राज्य सरकार को शीघ्र से शीघ्र पालन किया जाये।

9. संविधान के अनुच्छेद 14,19,23 के प्रावधान का पालन शीघ्र से शीघ्र राज्य शासन को किया जाये।

भवदीय,

R.S. Dahiya 29/7/13

राष्ट्रीय अध्यक्ष
रघुबीर सिंह दहिया,
ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसियेशन

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
29/7/13

प्रति लिपि सलंग्न है
(1) पेपर कटिंग
(2) सन 1966 के भारत सरकार का आदेश
(3) 17 जनवरी 1984 का पत्र

P.T.O

अब होमगार्ड को भी मिलेगी पक्की नौकरी

भास्कर नैटवर्क. नई दिल्ली

संसदीय समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने देशभर के होमगार्ड को अपेक्षाकृत बेहतर सुविधा देने की पहल की है। गृहमंत्री ने यह अध्ययन करने को कहा है कि होमगार्ड को सिपाही के रूप में पक्की नौकरी देने में कुल कितना खर्च बढ़ेगा। मामला चूंकि राज्य सरकारों का है, इसलिए पाटिल ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकारों को केंद्र की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी।

संसदीय समिति के सदस्यों ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार, अपराधों पर अंकुश और आपदा प्रबंधन में होमगार्ड के जवानों और नागरिक सुरक्षा कोर के नौजवानों को ज्यादा अधिकार और जिम्मेदारी देकर आगे लाने का समय आ गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने माना कि वर्तमान परिस्थितियों में होमगार्डस के लिए न केवल बेहतर प्रशिक्षण, बल्कि बेहतर वेतन, घर और चिकित्सा सुविधा के साथ पक्की नौकरी का इंतजाम करना होगा। ताकि आमजनों के हितों की रक्षा करने में वे पूरी ईमानदारी और सतर्कता से काम कर सकें।

दैनिक भास्कर
दिल्ली भास्कर
16-12-2006 शनिवार

होमगार्डों को पुलिस में नौकरी देने की मांग

नई दिल्ली, जाब्यू : बिना किसी हथियार व अधिकार के देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होमगार्डों को पुलिस में स्थायी नियुक्ति देने और उनके वेतन भत्तों को बढ़ाने की जोरदार मांग की गई है। गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में शुक्रवार को सांसदों ने होमगार्डों की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहाकि कई जगह तो होमगार्डों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। होमगार्डों व नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका पर केंद्रित सलाहकार समिति की बैठक में सांसदों ने देश के कोने-कोने में पुलिस की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाले होमगार्डों की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। सांसदों ने मांग की कि होमगार्डों से जिस तरह का काम लिया जाता है उसकी तुलना में उनको मिलने वाला वेतन व सुविधाएं कुछ भी नहीं हैं।

दैनिक जागरण पंजाब केसरी
18-12-2006 सोमवार
पेज नं. 11

All India Home Guard Welfare Association
R S Dahiya
National President
V. & P.O. Bodia Kamalpur (Rewari)

P.T.O

28. आयोग द्वारा नियुक्त की गई कमेटी द्वारा स्पष्ट किये गये सम्पूर्ण तथ्यों एवं वर्तमान स्थिति पर विचार करने के पश्चात् आयोग यह पाता है कि कमेटी के सदस्यों ने सभी बिन्दुओं पर साक्ष्य एवं तथ्यों को एकत्रित कर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । आयोग ने कमेटी गठित करते हुए इस अनुशंसा में पूर्व में वर्णित तीन बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा था और इसी को आधारित करते हुए कमेटी ने विभिन्न तथ्यों पर विचार कर अनुशंसा सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं ।

29. समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पूर्व में बनाये गये होमगार्ड एक्ट को मध्यप्रदेश में जारी रखने का निर्णय लिया गया और उस एक्ट के अंतर्गत होमगार्ड को स्वयंसेवी माने जाने का प्रयत्न किया गया यह भलिभांति स्पष्ट है कि नगर सेना का सैनिक वास्तविक रूप से फील्ड स्तर पर वो सभी डियूटी कर रहा है जिन्हें पुलिस के आरक्षकगण करते हैं । वह सिविल डिफेन्स, जनजागरण के कार्य, बचाव कार्य बाढ़ आने या आग लगने पर डियूटी करने, दूसरे प्रांतों में चुनाव की डियूटी आदि पूरी करता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि होमगार्ड सैनिक वह समस्त कार्य कर रहा है जो कि पुलिस के आरक्षकगण करते हैं परन्तु वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरे जमाने के एक्ट को मध्यप्रदेश में लागू कर यह प्रयास किया गया कि कम राशि में वे समस्त सेवायें पूर्ण कार्य कुशलता के साथ प्राप्त हों जावे जिन्हें आरक्षकगण करते हैं और शासन को अधिक व्यय भी न करना पड़े ।

30. नगर सैनिकों की कार्य कुशलता एवं उनके बढ़े हुए कार्यभार के संबंध में प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एवं भारत के प्रथम प्रधान सेनापति जनरल करियप्पा द्वारा अपने उद्गार व्यक्त किये गये । मध्यप्रदेश पुलिस कमीशन, 1965 ने भी मध्यप्रदेश होमगार्ड के उच्च कोटि के कार्य को स्पष्ट करते हुए उन्हें नियमित करने की अनुशंसा की थी । इसी प्रकार भारत शासन ने होमगार्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1966 में उन्हें नियमित करने हेतु प्रदेश सरकारों को लिखा था । भारत शासन के आदेश इस संबंध में निम्नानुसार है

[A] Order No-1/11/66 Dt. 17.12.1966 & 20.12.1967

Home Guard organizations have rendered significant service in difficult situation in the past. It seems that Home Guards are likely to be increasingly required for maintenance of Law & Order. The organization has to play a vital role in the country's defence efforts and is expected to continue in existence in the future. There is therefore requirement for declaring this organisation as permanent and converting a certain percentage of the Temporary paid posts in to permanent one under the rules applicable in the states.

[B] Order No-1/4/67 CD Dt. 19.02.1968

The Home Guard volunteers as have creditably equipped themselves in the Training Courses conducted at the Central Training Institute of the states [ie.-C.T.I.] could considered for APPOINTMENT to the paid post.

31. इतने लम्बे समय तक उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् नगर सैनिकों की सेवा शर्तों के संबंध में कोई ठोस निर्णय अभी तक न लिया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा

104

No. V1-31011/1/81-DGCD(HG)
GOVERNMENT OF INDIA /BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
****

New Delhi, the 17 January, 1984.

To

The Chief Secretaries to All
the state Governments.

Subject:- Appointment of Home Guards and Civil Defence Volunteers having 3 years training to posts/ Services under Group 'C' and 'D'.

R S Dahiya

Sir,

I am directed to say that the 8th bi-ennial Conference of Home Guards and Civil Defence held in New Delhi in November 1980 made the following recommendation vide Item No.36 of the minutes of the Conference, circulated under this Ministry's letter No V1-14021/1/80-DGCD(CD) dated 30.12.1980:-

INCENTIVES

It was proposed that unemployed Home Guard and Civil Defence volunteers after rendering national service for a few years be given some weightage for employment in Government services, e.g. Police, Railways, posts & Telegraphs and others.

State Governments were requested to forward specific proposals regarding weightage to be given to Home Guards and Civil Defence Volunteers and requested to assist these volunteers in getting suitable employment in private sector also. It was suggested that the Ministry of Home Affairs may issue necessary instructions to all concerned.

(Action MHA and State Governments)

2. The above recommendation has been considered by this ministry in consultation with the Department of Personnel & administrative Reforms and detailed instructions have been issued in the matter by Department of Personnel & A.R. A copy of Deptt. of personnel & A.R. Office Memorandum No. 14034/5/82-Estt(D) dated 5th November, 1983 issued to all Ministries/Department of the Government of India, conveying the above decision is enclosed.

3. It is requested that the State Governments may also kindly consider issuing similar instructions in the matter. Copies of instructions issued may please be endorsed to this Ministry also. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully

Sd/-

(M. RIAZUDDIN)

P.T.O.

6

105

ORDER

The enlistment of Sh.Desh Raj No.107 as Home Guards volunteer office of District Commandant Home Guards, Narnaul has been discharged by the District Commandant, Home Guards, Narnaul vide his order dated 19-11-2012 on the grounds of indiscipline. Sh.Desh Raj filed a CWP No.10854 of 2013 before the Hon'ble High Court against his discharge from the enlistment as a Home Guards volunteer. The Hon'ble High Court vide order dated 20-05-2013 disposed of the writ petition with the directions to the respondent No.2 to treat the representation dated 28-01-2013 as an appeal under the Home Guards Rules 1980 and to take a final decision there upon strictly in accordance with law by passing a speaking order with in a period of 2 months from the date of receipt of certified copy of this order.

In compliance with the above orders of the Hon'ble High Court. I have examined the matter as per record. The order to terminate the enlistment of Sh.Desh Raj, Home Guards volunteer has been given by District Commandant, Narnaul to Center Commander, Narnaul vide his letter dated 526 dated 19-11-2012, in reference to letter no.792 dated 08-11-2012 of Center Commander, Home Guards, Narnaul. From the perusal of letter dated 8-11-2012 of the office of Center Commander, Narnaul, it is revealed that he has performed his duty while placing unauthorised epaulettes on his uniform. The Home Guards organization is a volunteer organization and the appellant Sh.Desh Raj was enlisted as Home Guards volunteer under the Haryana Home Guards Rules 1980 and he was not a regular employee. As per Rule 20 a member of the Home Guards is enlisted for 3 years and he can be re-enlisted. The Home Guards organization is a disciplined organization

and indiscipline in such a organization is unacceptable. It is also clearly mentioned in rule 19 of the Home Guards Rules 1980 that no unauthorized emblem and other ornamental articles shall be worn with the uniform. However, taking a lenient view, in my opinion without establishing the misconduct it is not appropriate to terminate the enlistment of a senior volunteer straightaway without affording him an opportunity of hearing. Therefore, the orders of District Commandant Home Guards, Narnaul dated 19-11-2012 are set aside and one more opportunity is afforded to this volunteer to work in a disciplined fashion and not repeat any aberration.

Satyendra Kumar, IPS
Director General of Police-cum-
Commandant General Home Guards &
Director Civil Defence, Haryana.

Endst.No.CG-2013/ 16073-76 Dated 27-7-13

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Home Deptt., Chandigarh W.R.
2- The Advocate General, Haryana, Chandigarh.
3- District Commandant Home Guards, Narnaul.
4- Sh. Desh Raj No.107 S/o Sh. Phul Chand Yadav, R/o Village Patikara, P.O. Narnaul, Tehsil Narnaul, District Mohindergarh, Haryana-12300.

for Commandant General Home Guards &
Director Civil Defence, Haryana

सूचना

शासन के पत्र संख्या: सी.एम–107/छःनासु–13–70होगा/13 दिनॉकः 20–05–2013 एवं पत्र संख्या: 194/छःनासु–13–70होगा/13 दिनॉकः 26–08–2013 के साथ प्राप्त 47 निष्कासित होमगार्ड्स स्वंयसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की सूची में से निम्नलिखित होमगार्ड्स स्वंयसेवकों को होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा पुर्नबहाल किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप पुर्नबहाल किये जाने विषयक आदेश संबंधित जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स को निर्गत कर दिये गये हैं:–

क्र0सं0	नाम	जनपद
	सर्वश्री:–	
1–	राम औतार मौर्य	लखनऊ
2–	फूलचन्द यादव	लखनऊ
3–	सुभाष चन्द्र	उन्नाव
4–	महेन्द्र गौतम	जौनपुर
5–	राजबली सिंह	जौनपुर
6–	विजय वर्धन	पीलीभीत
7–	रामचन्द्र	पीलीभीत
8–	धर्मपाल सिंह	पीलीभीत
9–	जगदेव लाल	बस्ती
10–	मुकेश कुमार द्विवेदी	लखनऊ
11–	वासुदेव यादव	लखनऊ
12–	अम्बरीश कुमार	लखनऊ
13–	कृष्ण मुरारी मिश्रा	लखनऊ
14	सत्यदेव सिंह	लखनऊ
15	शेषमणि पटेल	सन्तरविदास नगर, भदोही
16–	महेश कुमार पाण्डेय	सन्तरविदास नगर, भदोही
17–	रमेश चन्द्र मौर्य	सन्तरविदास नगर, भदोही
18–	तुलसी सिंह	बदायूँ
19	हरिशरण	पीलीभीत
20	रोजाराम वर्मा	पीलीभीत
21–	राकेश कुमार	फिरोजाबाद
22–	प्रीतम सिंह	फिरोजाबाद
23–	नाहर सिंह	फिरोजाबाद
24	चन्द्रभान सिंह	बदायूँ
25–	राजेन्द्र सिंह	बदायूँ
26	पारसनाथ पाल	मिर्जापुर

20/9/2013

(एस0एस0 प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी।

(9)

क्र.सं. 27(जारी)

सूचना का अधिकार/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-I(भाग)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-I

***

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 06 जनवरी, 2014

7 JAN 2014

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार कौशिक
द्वारा श्री रामेश्वर दत्त
म.न.152, भारद्वाज कॉलोनी
अलीपुर, दिल्ली-36

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 30.12.13 के पत्र संख्या ए-43020/01/2013-आरटीई का अवलोकन करें | उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है | संदर्भित पत्र दिनांक 03.01.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है |

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है| इसका संबंध आपदा प्रबंधन प्रभाग-III, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से है | अत: आवेदन पत्र को संबंधित प्रभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है| आप उनसे सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं |

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं |

भवदीय,
गौतम घोष
(गौतम घोष)
उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.
फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि संलग्नों सहित निम्नलिखित को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

निदेशक (आपदा प्रबंधन प्रभाग-III), गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, तृतीय तल, नई दिल्ली| उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है| आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें |

Issued
R.B.No - 16
07-01-2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री वी. के. राजन, उप सचिव (ई) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में प्रेषित |

Issued on
R.B.No - 03
07-01-2014

..